मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228062, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ. 3( )/आरएमएससी/वित्त/2012–13/162 दिनांक : 27.04.2012

1. **प्राचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज (समस्त)**
2. **संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान (समस्त)**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार से औषधियों हेतु प्राप्त बजट से अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय (Local Purchase) के संबंध में।

विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बजट नियंत्रण अधिकारियों यथा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक, जनस्वास्थ्य को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संबंधित बजट शीर्षों में औषधियाँ इत्यादि के क्रय के लिए बजट आवंटित किया गया है। अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु जो राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है, वह राशि प्राचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को शीघ्र ही आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में जिन आवश्यक औषधियों की कमी/आवश्यकता है, उन्हें नियमानुसार क्रय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएँ। जिससे राज्य सरकार की महत्ती योजना **"मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना"** का प्रभावी क्रियान्वयन सम्पादित हो सके।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त 10 प्रतिशत आवंटित राशि के अतिरिक्त निगम के निदेशक मण्डल की 18वीं बैठक दिनांक 28.04.2012 में लिए गए निर्णयानुसार स्थानीय क्रय के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि (10% additional budget for L.P.) का हस्तानांतरण करने हेतु प्रस्ताव भी वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन पश्चात् चिकित्सा संस्थानों के पास स्थानीय क्रय (Local Purchase) हेतु कुल 20 प्रतिशत राशि उपलब्ध हो सकेगी। इसका उपयोग कर आप अत्यावश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करा सकते है।

प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग एवं अध्यक्ष, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक (समस्त), आरएमएससी, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान (समस्त)।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रबंध निदेशक